विविध बैंक प्रकरण संख्या 66/2022.(GCMS : 2022/99) भारतीय स्टेट बैंक कृषि विकास शाखा पुरानी मण्डी घड़साना जरिये अधिकृत शाखा प्रबंधक री हरीओम गोयल उम्र 57 वर्ष पुत्र श्री शादी राम गोयल जाति [illegible] हाल सकिन घड़साना बनाम मुकेश कुमार पुत्र श्री अमीचंद जाति [illegible] साकिन वार्ड नं. 3 3 एसटीआर तहसील घडसाना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

22.06.2022

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता श्री महावीर मिढा उपस्थित हुए। प्रार्थी के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया।

प्रार्थी बैंक के अधिवक्ता का कथन है कि प्रार्थी द्वारा एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत दिनांक 22.04.2022 को प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी मुकेश कुमार को ऋण सुविधा के रूप में 17.00/— लाख़ रूपये (अखरे रूपये सतरह लाख मात्र) का ऋण दिनांक 15.01.2018 को स्वीकृत किया था। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी मुकेश कुमार ने अपनी संपत्ति आवासीय भूखण्ड वार्ड नं 3(क्षेत्रफल 25 गुणा 45 फीट), चक 3 एसटीआर, घडसाना श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। उनका आगे कथन था कि अप्रार्थी द्वारा ऋण की शर्तो के अनुसार नियमित रूप से ऋण का भुगतान नही किया गया है जिस कारण उनका ऋण खाता दिनांक 14.06.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) के रूप में घोषित कर दिया गया है। अप्रार्थी ऋणी के नाम दिनांक 15.03.2022 को 17,70,000/—रूपये ऋण राशि व इसके पश्चात के ब्याज व अन्य खर्चे अतिरिक्त के बकाया है जिस पर अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के अन्तर्गत 60 दिवस का नोटिस दिनांक 13.08.2021 को उक्त बकाया राशि [illegible] ने का जारी किया गया, जिस पर अप्रार्थी मुकेश स्वयं [illegible] भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा बैंक की उक्त बकाया राशि जमा नही करवाई गई है। इसलिए [illegible] ऋणी मुकेश कुमारा द्वारा प्रार्थी बैंक के पास अपनी संपत्ति आवासीय भूखण्ड वार्ड

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

नं. 3 (क्षेत्रफल 25 गुणा 45 फीट), चक 3 एसटीआर, घडसाना श्रीगंगानगर का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जावे।

मैने प्रार्थी बैंक के अभिभाषक के उक्त तर्को पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी मृकेश कुमार को 17.00/— लाख रूपये (अखरे रूपये सत्रह लाख मात्र) का ऋण राशि की स्वीकृति 15.01.2018 को प्रदान की थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी ऋणी मुकेश कुमार द्वारा सुरक्षा की एवज में अपनी संपत्ति आवासीय भूखण्ड वार्ड नं 3(क्षेत्रफल 25 गुणा 45 फीट), चक 3 एसटीआर, घडसाना श्रीगंगानगर प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 14.06.2021 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणी को धारा 13(2) के नोटिस दिनांक 13.08.2021 को जारी किया गया है तथा धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के परिणामस्वरूप अप्रार्थी मुकेश कुमार के स्वयं का हस्ताक्षरयुक्त धारा 13(2) का नोटिस पत्रावली में उपलब्ध है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित ज़िला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत रूप से होनी आवश्यक है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:58 IST
Reason: SelfAttested

जहां तक ऋण की एवज में बंधक रखी गई अप्रार्थी ऋणी मुकेश कुमार द्वारा अपनी संपत्ति आवासीय भूखण्ड वार्ड नं 3(क्षेत्रफल 25 गुणा 45

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

फीट), चक 3 एसटीआर, घडसाना श्रीगंगानगर जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखा हुआ है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है। इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के तहत निम्न हस्ताक्षरकर्त्ता कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 13.08.2021 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 13.08.2021 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस पर अप्रार्थी मुकेश कुमार के स्वयं के हस्ताक्षर है, जिसके अनुसार अप्रार्थी को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थी ने बैक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत किया** है। इसलिए ऋण की सुरक्षा की एवज में ऋणी मुकेश कुमार के द्वारा प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी गई संपतियों का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को दिलाया जाना उचित होगा।

अतः उक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी भारतीय स्टेट बैंक का उक्त प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत धारा 14 **स्वीकार किया जाता है** और अप्रार्थी ऋणी मुकेश कुमार द्वारा प्रार्थी बैंक से प्राप्त ऋण की सुरक्षा की एवज में बंधक रखी गई संपत्ति आवासीय [illegible] 3(क्षेत्रफल 25 गुणा 45 फीट), चक 3 एसटीआर, [illegible] **भौतिक कब्जा जरिये पुलिस की सहायता से प्रार्थी बैंक को दिलाये जाने के आदेश दिये जाते है।** इस आदेश की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को इस आदेश के

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:58 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

साथ अग्रेषित की जाती है कि प्रार्थी बैंक को उक्त अचल सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाने हेतु उनके चाहे अनुसार, नियमानुसार पुलिस सहायता उपलब्ध करवाई जावें। आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक व जिला पुलिस अधीक्षक श्रीगंगानगर को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक़मील दाख़िल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 22.06.2022 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रुक्मणि रियार सिहाग)
जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.06.27 16:58:58 IST
Reason: SelfAttested